

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**


**अधिसूचना**

संख्या- उ0सं0वि0-26/2003 विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में मुंगेर, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- |     |  |   |            |
|-----|--|---|------------|
| 1   | जिला समाहर्ता  | - | अध्यक्ष    |
| 2   | जिला आपूर्ति पदाधिकारी   | - | सदस्य सचिव |
| (क) | <b>जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि</b>   |   |            |
| 3.  | जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य   |   | सदस्य      |
| 4.  | जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य  | - | सदस्य      |
| (ख) | <b>विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि</b>  |   |            |
| 5.  | उप विकास आयुक्त  | - | सदस्य      |
| 6.  | जिला शल्य चिकित्सक   | - | सदस्य      |
| 7.  | जिला कल्याण पदाधिकारी  | - | सदस्य      |
| 8.  | जिला शिक्षा पदाधिकारी  | - | सदस्य      |
| 9.  | जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम  | - | सदस्य      |
| 10. | अध्यक्ष, जिला परिषद्   | - | सदस्य      |
| 11. | केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन   | - | सदस्य      |
| (ग) | <b>महिला प्रतिनिधि</b>   |   |            |
| 12. | श्रीमती माधवि लता,<br>पति-श्री विकास ठाकुर,<br>पता- मोहल्ला- मोगल बाजार,<br>गुमटी नं0-02, जिला- मुंगेर।                            | - | सदस्य      |
| 13. | श्रीमति रेखा सिंह चौहान,<br>पति- विनोद कुमार सिंह,<br>पता-नूरी ब्यूटी पार्लर, हवेली खड़गपुर,<br>थाना- हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर। | - | सदस्य      |
| (घ) | <b>स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि</b>  |   |            |
| 14. | श्री अर्पन कुमार,<br>पिता- श्री ज्ञानंद प्रसाद,<br>पता- साकिन राजनीति प्रसाद रोड,<br>माधोपुर, (दया सोसाईटी), पो0+जिला- मुंगेर।     | - | सदस्य      |



15. श्री गौतम आजाद, — सदस्य  
 पिता—श्री विजय कुमार आजाद,  
 पता— साकिन— केशोपुर,  
 जमालपुर, (स्वाति सोसाईटी),  
 पोस्ट— जमालपुर, जिला— मुंगेर।
16. श्री मनीन्द्र प्रसाद सिंह, — सदस्य  
 पता—अध्यक्ष, सेवायतन,  
 साकिन— झील रोड, हवेली खड़गपुर,  
 थाना—हवेली खड़गपुर, जिला— मुंगेर।
17. श्रीमती बिमला देवी, — सदस्य  
 पता— अध्यक्ष, माँ भवानी सेवा स्वयं सहायता समुह,  
 प्रसन्डो, ग्राम+पोस्ट— प्रसन्डो,  
 थाना—हवेली खड़गपुर, जिला— मुंगेर।
- (ड.) किसान / व्यापारी / उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री शमशेर आलम (व्यापारी प्रतिनिधि), — सदस्य  
 पिता— कमरूल होदा,  
 पता— मुहल्ला— वलीपुर, जमालपुर,  
 पोस्ट— जमालपुर, जिला— मुंगेर।
19. श्री अवधेश सिंह (किसान प्रतिनिधि), — सदस्य  
 पिता—जगरनाथ सिंह,  
 पता— साकिन— आदर्श ग्राम टिकारामपुर,  
 जिला— मुंगेर।
20. श्री कुन्दन कुमार सिंह (व्यापारी प्रतिनिधि), — सदस्य  
 पिता—ठाकुर रामवरण सिंह,  
 पता— ग्राम+पो0— मिलकी,  
 थाना— हवेली खड़गपुर, जिला— मुंगेर।
21. श्री नईम खान (किसान प्रतिनिधि), — सदस्य  
 पिता—स्व0 वाजिद खान,  
 पता— रौशन टोला, खड़गपुर, वार्ड नं0— 09  
 थाना— हवेली खड़गपुर, जिला— मुंगेर।
- (च) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री अनिल कुमार यादव (सत्येन्द्र), — सदस्य  
 पिता— श्री बाबूलाल यादव,  
 पता— साकिन हरदियावाद, पो0— जानकीनगर,  
 जिला— मुंगेर।
23. श्री अविनाश कुमार जायसवाल, — सदस्य  
 पिता— श्री कारू मंडल,  
 पता— साकिन— नया टोला, वार्ड नं0— 34,



- पो०- जमालपुर, जिला- मुंगेर।
24. श्री गजन अली खान, - सदस्य  
पिता-श्री, अब्दुल बारी खान,  
पता- ग्राम- रौशन टोला, खडगपुर,  
ब्लॉक- 09, थाना- हवेली खडगपुर,  
जिला- मुंगेर।
25. श्री मनोज कुमार 'रघु' - सदस्य  
पता - ग्राम+पो०- हवेली खडगपुर,  
थाना- हवेली खडगपुर, जिला- मुंगेर।

(2) शर्त:-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य है, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उन्हीं जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुक्रमणिका कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगे जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनाभि प्राप्ति होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वेतन यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी 01 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(प्रकाश कुमार) 15

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003 7064 खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15  
प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित उप विकास  
आयुक्त/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला  
प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद/माननीय विभागीय मंत्री  
कोषांग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. प्रतिलिपि:- समहर्ता, मुंगेर से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को  
इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003 7064 सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक  
खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15  
प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित ।

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003 7064 सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक  
खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15  
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी  
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करासे  
की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक